# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

## इजलास – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 146 / 2013
तारीख दायर 18.09.2013

**उनवान**

1. श्याम सुन्दर पुत्र कन्हैया लाल जाति खटीक निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—वादी

**बनाम**

1 सेवा पुत्र हजारी जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2 नन्दू बेवा नाथू जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3 दुर्गेश पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4 घीसी पुत्री नाथू जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5 रामू पुत्री नाथू जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6 बदाम पुत्री तुलछा जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7 राजू पुत्र मोहन जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
8 शम्भू पिता मोहन जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
9 इन्द्रा पुत्री मोहन पत्नी बालकिशन जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
10 खेमी बेवा मोहन जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
11 मीनाक्षी पुत्री राधा जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
12 देउ पुत्री गंगा पत्नी भोला जाति बैरवा निवासी लाड़पुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
13 मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
14 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत, अधिवक्ता (वादी)
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

**वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955**

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक :– 11.11.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम लाडपुरा पटवार हल्का लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 758, 759, 760, 767 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.01.2019 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस जमाबंदी के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

Scanned by CamScanner

अतः वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

| क्र. सं. | नाम खातेदार | मौजा | आराजी संख्या | रकबा | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्याम सुन्दर पि0 कन्हैयालाल खटीक सा0 माण्डलगढ़ खातेदार | लाडपुरा | 758 | 0.19 | 1.86 |
| | योग | | किता 1 | **0.19** | **1.86** |
| 2 | दुर्गेश, घीसी, रामू पि0 नाथू ना.बा.व.वि माता नन्दू, नन्दू बेवा नाथू सेवा पि0 हजारी बदाम पुत्री तुलछा राजू, शम्भू पि0 मोहन इन्द्रा पुत्री मोहन मु0 खेमी बेवा मोहन मिनाक्षी माता राधा ना.वा.व. वि. मु0 खेमी बेवा मोहन देऊ पुत्री गंगा बैरवा सा0 देह हि0ब0 खातेदार<br>रहन गंगा पि0 भोला के 1/4 हि0 पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा माण्डलगढ़ | लाडपुरा | 759<br>760<br>767 | 0.15<br>0.11<br>3.18 | 1.47<br>1.08<br>4.53 |
| | योग | | किता 3 | 5.04 | 7.08 |

उक्तानुसार खातेदारो के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner